गोरधनराम बगैरा बनाम दयाराम बगैरा

[illegible] अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

प्रार्थीगण वकील - श्री हाकम खान एडवोकेट

विपक्षी संख्या 1 से 4 के वकील - श्री दीप मोहम्मद

विपक्षी संख्या 5 से 10 के वकील - श्री मुबारक खान

निर्णय दिनांक - 12.10.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला के मौजा वेरडी के खेत खसरा संख्या 775/390 रकबा 19.1416 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के [illegible] है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय [illegible] विप्रार्थीगण सेढ़ो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान [illegible] पैमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। [illegible] प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद [illegible] प्राप्त हुए। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण वकीलो जवाब पेश करने हेतु न्यायहित में अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया अतः उनका जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। उक्त [illegible] पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के [illegible] दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला के मौजा वेरडी के खेत खसरा संख्या 775/390 रकबा 19.1416 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम [illegible] नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर [illegible] किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील [illegible] बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश कर व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी [illegible] न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति [illegible] काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी [illegible] पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो।

[illegible] पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो [illegible] फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 17:00:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

सेड़वा